

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 54/2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

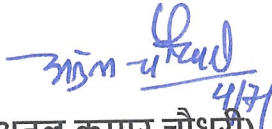
भादूविप्रा ने 'निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 04 जुलाई 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. इससे पहले दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(अ) के तहत अपने पत्र दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से, भादूविप्रा से निर्यात प्रयोजन के लिए एम2एम/आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्डों के आयात/बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और नवीनीकरण के लिए नियमों और शर्तों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. इस संबंध में, 'निर्यात प्रयोजनों के लिए एम2एम/ आईओटी उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ईसिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 01.08.2025 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 18.08.2025 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा, को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।


(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा